प्रेषक,

डा0ऐ०के०सिंह ज़िला न्यायाधीश अमरोहा।

सेवा में,

महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

पत्रांक (832/19 प्रशासन न्याय विभाग अमरोहा दिनांक 2011)

विषय:— स्वयं के लिये क्य किय गये चश्में की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे के आपित्त निराकरण के सम्बन्ध में:—

महोदय,

सम्मान सहित अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पोर्टल के माध्यम से मेरे द्वारा प्रेषित चश्मा कय किये जानें की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे पर आपत्ति अंकित की है। उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि इस दावे के समस्त मूल प्रपत्र ज़िला न्यायालय अमरेाहा के पत्र संख्या 1808/19 दिनांक 16.11.2019 के माध्यम डाक द्वारा प्रेषित किये जा चुके है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे पर आपत्ति इस कार्यालय को आज प्राप्त हुई है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे की आपत्ति निराकरण हेतु संशोधित परिशिष्ट 'ग' एवं उत्तर प्रदेश चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली एवं प्रथम संशोधन नियम, 2014 के अनुसार बिना अस्पताल में मर्ती हुए का प्रमाण–पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा से देय राशि अंको एवम् शब्दों में अंकित कराकर इस पत्र के साथ संलग्न कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु दावा प्रेषित किया जा रहा है।

अतः सम्मान सहित अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पोर्टल पर अंकित आपित्यों के निराकरण हेतु संलग्न किये जा रहे परिशिष्ट 'ग' एवम् बिना अस्पताल में भर्ती हुए का प्रमाण-पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृति हेतु रखनें की कृपा करें।

सादर।

दिनांक

भवदीय

(डा० ऐ०केश्रसिंह)
ज़िला न्यायाधीश
अमरोहा।

DISTRICT JUDGE AMROHA

संलग्नकः— यथोक्त



परिशिष्ट 'ग'

....ज़िला न्यायाधीश अमरोहा ।

विषय— चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति। महोदय.

मै डा0 अशोक कुमार सिंह ..ने .स्वयं .की ऑखों का दिनांक 16.10.2019 से दिनांक 21.10.2019तक संयुक्त ज़िला चिकित्सालय अमरोहा उपचार करवाया है। में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा हूँ-

- 1. उपचारी चिकित्सक / चिकित्साल्य के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित / प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाणपत्र।
- 2. उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल नकद पर्ची, बिल, वाउचर। पत्र संख्या.......निल......दिनांक.....निल.....द्वारा स्वीकृत......रूपये के अग्रिम का समयोजन करने के पश्चात मेरे दावे की प्रतिपूर्ति के लिए यथा आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक

अधिकारी का नार्म(डा० अशोक कुमार सिह) पदनाम- जनपद न्यायाधीश अमरोहा

अनिवार्यता प्रमाण-पन्न (अस्पताल में बिना मर्ती हुए उपचार की दशा में)

(A) That I charged and received Rs for consultations on date to be given) date to be (B) that I charged and received Rs for administering intra at the residence of the patient. on at my consulting room (date to be given)
(C) that the injections were for / were not immunicipated to the injections were for / were not immunicipated to the injections were for / were not immunicipated to the injections were for / were not immunicipated to the injections were for / were not immunicipated to the injections were for / were not immunicipated to the injections were for / were not immunicipated to the injection of the injection were for / were not immunicipated to the injection were not immunicipated to the injection of t
(D) that the patient has been under treatment at
NAME OF MEDICAL
PRICERS 22 200 Z 60
£ 15000 200
5 Sin attacked = 15000 zero Filleen Mandonty
(E) that the patient is / was suffering from Delance and is /was under my treatment Ararcha.
(F) that the patient is / was not given pernatal or postnatal treatment. (G) that the X-ray. Laboratory test etc. for which an expenditure of Rs
(H) that I referred the patient to Dr
State) as required under the rules was obtained. (I) that the patient did not require/ required hospitalisation. Dated Signature & Designation Gentined Haspital, Amroha Dispensary to which attached Distr. Combined Hospital, Amroha
CE Je Nedical Superintendent, Division Amroha Distr. Combined Hospital, Amroha